संख्या-27/2026/001-565/1704211/12-2002(002)/1/2023

प्रेषक,

सर्वेश कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 05 मई, 2026

विषय:-उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम (100 प्रतिशत राज्य पोषित) योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-16/यू0पी0एम0आर0पी0/लेखा/ 2026-27, दिनांक 23 अप्रैल, 2026 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 की अनुदान संख्या-011 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 103-बीज, 06-उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम (100 प्रतिशत राज्य पोषित) योजना के विभिन्न मानक मदों में प्राविधानित धनराशि रूपये 4064.10 लाख के सापेक्ष विभिन्न मानक मदों यथा 08-कार्यालय व्यय में रू० 10.00 लाख, 11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई में रू० 10.00 लाख, 15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद में रू० 10.00 लाख, 27-सब्सिडी में रू० 249.10 लाख, 42-अन्य व्यय में रू0 3247.50 लाख, 44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय में रू० 517.50 लाख, 46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय में रू० 10.00 लाख एवं 47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय में रू० 10.00 लाख अर्थात कुल धनराशि रूपये 4064.10 लाख (रूपया चालीस करोड़ चौसठ लाख दस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान करते है:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्ध

1. स्वीकृत धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
2. स्वीकृत धनराशि का व्यय योजना की निर्धारित दिशा-निर्देशों/गाइडलाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार ही किया जायेगा।
3. स्वीकृत धनराशि का व्यय उन्हीं मदों पर किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।
4. स्वीकृत धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
5. निर्गत वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, इसका उत्तरदायित्व कृषि निदेशक का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।

7. जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

8. यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य पूर्व में राज्य सरकार या अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है और न ही कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है अथवा किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो।

9. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा सम्भावित व्यय की फेजिंग विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार किया जायेगा। जहाँ तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय।

10. निर्गत धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि का विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे।

11. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12.उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में जारी शासनादेश संख्या-07/2023/172/12-2-2023-04/2022, दिनांक 01 फरवरी, 2023 में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

13.स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाएगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **लेखाशीर्ष:** 2401001030600 (उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	011	2401001030600 उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम	08 कार्यालय व्यय	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
2	011	2401001030600 उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
3	011	2401001030600 उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

			खरीद	
4	011	2401001030600 उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम	27 सब्सिडी	2,49,10,000 (रुपये दो करोड़ उनचास लाख दस हजार मात्र)
5	011	2401001030600 उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम	42 अन्य व्यय	32,47,50,000 (रुपये बत्तीस करोड़ सैंतालीस लाख पचास हजार मात्र)
6	011	2401001030600 उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	5,17,50,000 (रुपये पाँच करोड़ सत्रह लाख पचास हजार मात्र)
7	011	2401001030600 उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
8	011	2401001030600 उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
	कुल			**40,64,10,000 (रुपये चालीस करोड़ चौंसठ लाख दस हजार मात्र)**

महायोग	40,64,10,000 (रुपये चालीस करोड़ चौंसठ लाख दस हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 मे प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
सर्वेश कुमार सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-27/2026/001-565(1)/1704211/12-2002(002)/1/2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
3. अपर कृषि निदेशक, (बीज एवं प्रक्षेत्र) उत्तर प्रदेश, लाखनऊ
4. वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
सर्वेश कुमार सिंह
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।